ग्राम पंचायत भौरा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भौरा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत भौरा में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्री विनोद कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–.

1	श्रीमती पूजा शर्मा	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत भौरा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	24.83
2	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.18

3	6.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.06
4	7	वैध आपूर्ति सम्बन्धी ट्रांजिट पास फार्म X या Y प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय।	5.41
5	8	मानदेय के रूप में अनुचित भुगतान करना	0.05
6	9	सामग्री की खरीद हेतु अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना।	0.02

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत भौरा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.09.2024 व 23.09.2024 से 27.09.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	03/2023	05/2022
2023–2024	03/2024	08/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क** :–

ग्राम पंचायत भौरा विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति** :–

ग्राम पंचायत भौरा, विकास खण्ड सुलह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत भौरा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	217856.50	43574.00	6276.00	267706.50	33507.00	234199.50
2023–24	234199.50	24781.00	5837.00	264817.50	73964.00	190853.50

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत भौरा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	1899664.00	5123143.58	53975.00	7076782.58	4591210.58	2485572.00
2023–24	2485572.00	3310578.90	103035.00	5899185.90	3416547.90	2482638.00

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, 15th FC, SDP

A/c No. 50056452439 KCCB Pahra SF 195302

A/c No. 20054004898	KCCB Pahra	5th State VKVNY,		337306.69
A/c No. 50059217980	KCCB Pahra	SDP		258626
A/c No.50056452019	KCCB Pahra	14th FC		598
A/C No. 50056452177	KCCB Pahra	Relief		2666
A/C No. 50056452337	KCCB Pahra	NRHM		33087
A/c No. 50058999182	KCCB Pahra	MPLAD		137
A/c No 96370001000010186	PNB Bhawarna	15th FC		1845053
cash in hand				716
			Total	2673491.69

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			190853.5
Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM		0
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC		337306
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY		12027
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		598
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		1845053
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY		2666
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		251901
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		33087
		Total	2673491.5
		diffrence	-0.19

4.1 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :—

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 387 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/07 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. **अनुदान राशि ₹24.83 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹24,82,638/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. पंचायत राजस्व ₹0.18 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का राजस्व ₹18,260/– वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	0	30500	30500	25040	5460
2023–2024	5460	30500	35960	17700	18260

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर

नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 388 दिनांक 27.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/07 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹18,260/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

6.2 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹5,600/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹5,600/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि**
1	2022–23	1600.00
2	2023–24	4000.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 389 दिनांक

27.09.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबी/07 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7. खनन सामग्री की वैध आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹5.41 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की वैध आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान ₹5,40,775/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 390 दिनांक 27.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीबी/07 दिनांक 15.10.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त नहीं किये गये हैं। अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया ।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

8. मानदेय के रूप में राशि ₹0.05 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के प्रावधानानुसार पंचायत सचिव किये गये अधिक भुगतान को तुरन्त वसूली हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि हि0 प्र0 पंचायती राज विभाग के पत्र सख्याः पीसीएच–एचपी(15)2/2002–II–पं0चौ0– कांगडा–74854 दिनांक 01.12.2022 के अनुसार जिन अंशकालिक पंचायत चौकीदारों द्वारा दिनांक 31.08.2022 तक निरन्तर 12 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किया जा चुका है, को सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाये जाने सम्बन्धी आदेश जारी करने उपरान्त उन द्वारा अपनी उपस्थिति देने की तिथि से उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को देय ₹350/– प्रतिदिन की दर से मासिक वेतन की अदायगी देय होगी परन्तु इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत भौरा के चौकीदार को अक्तूबर 2022 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत होने उपरान्त सभा निधि से ₹300/– प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जा रहा है। (नवम्बर 2022 से मार्च, 2024 तक ₹5100/–) **परिशिष्ट–4** अनुसार, जोकि उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

मानदेय के रूप में प्रदान किये जा रहे ₹300/– प्रतिमाह हो तर्कसंगत ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 392 दिनांक 27.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीबी/07 दिनांक 15.10.2024 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाये ।

9. सामग्री की खरीद में राशि ₹0.02 लाख के अधिक भुगतान बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण कार्य पंचवटी पार्क हेतु वाउचर संख्या पी–8 दिनांक 10.01.2023 शीर्ष 15वाँ वित्तायोग के अनुसार सुरेन्द्र पाल सिंह को उनके बिल संख्या 034 दिनांक शून्य के एवज में ₹11600/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया था। जबकि प्रस्तुत बिल के अनुसार स्टैप 20 दर ₹480/– के अनुसार ₹9600/–का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः ₹2000/– के अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 393 दिनांक 27.09.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीबी/07 दिनांक 15.10.2024 द्वारा सूचित किया कि अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप. पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 394 दिनांक 27.09.2024 द्वारा अवगत करवाया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः जीपीबी/07 दिनांक 15.10.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर हैं । अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

1	नि0 सामुदायिक भवन गदियाडा SDP
2	सौदर्यकरण पार्क रा0व0मा0पा0 भौरा SDP
3	नि0 पुली चौथी बण्ड VKVNY

12. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, फलस्वरूप स्टोर, स्टॉक की वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता एवं इस अनियमितता के चलते सामग्री विशेष के दुरूपयोग दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

14. लघु आपत्ति विवरणिका :–

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15. **निष्कर्ष** :— लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति

45–49 02 JAN 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)445/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भौरा, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhoura" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SBM	58000	0	0	58000	58000	0
2	5 SFC	253980	240363	8730	503073	247150	255923
3	VKVNY	127780	830000	8475	966255	760088	206167
4	14TH FC	565	0	16	581	0	581
5	15TH FC	1120750	979285	35501	2135536	491188	1644348
[illegible]	Relief	2223	0	363	2586	0	2586
[illegible]	SDP	305147	240000	0	545147	201289	343858
[illegible]	NRHM	31219	0	890	32109	0	32109
[illegible]	MNREGA	0	2833495.58	0	2833495.58	2833495.58	0
	Total Rs.	1899664	5123143.58	53975	7076782.58	4591210.58	2485572

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Bhoura" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SBM	0	0	0	0	0	0
2	5 SFC	255923	366036	24127	646086	308780	337306
3	VKVNY	206167	0	31291	237458	225431	12027
4	14TH FC	581	0	17	598	0	598
5	15TH FC	1644348	187887	46542	1878777	33724	1845053
[illegible]	Relief	2586	0	80	2666	0	2666
[illegible]	SDP	343858	0	0	343858	91957	251901
[illegible]	NRHM	32109	0	978	33087	0	33087
[illegible]	MNREGA	0	2756655.9	0	2756655.9	2756655.9	0
	Total Rs.	2485572	3310578.9	103035	5899185.9	3416547.9	2482638

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP

A/c No. 50056452439	KCCB Pahra	SF	195302
A/c No. 20054004898	KCCB Pahra	5th State	337306.69
A/c No. 50059217980	KCCB Pahra	VKVNY, SDP	258626
A/c No.50056452019	KCCB Pahra	14th FC	598
A/C No. 50056452177	KCCB Pahra	Relief	2666
A/C No. 50056452337	KCCB Pahra	NRHM	33087
A/c No. 50058999182	KCCB Pahra	MPLAD	137
A/c No 9637000100010186	PNB Bhawarna	15th FC	1845053
cash in hand			716
		Total	2673491.69

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		190853.5
Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM	0
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	337306
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	12027
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	598
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	1845053
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY	2666
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	251901
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	33087

Total 2673491.5

diffrence -0.19

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BHOURA
DEV. BLOCK SULAH, KANGRA, H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Bhoura

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	217856.5	43574	6276	267706.5	33507	234199.5
2023-24	234199.5	24781	5837	264817.5	73964	190853.5

Checked

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BHOURA
DEV. BLOCK SULAH, KANGRA, H.P.

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Bhoura

Distt.Kangra,H.P.

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	0	30500	30500	25040	5460
2023-24	5460	30500	35960	17700	18260
No. of family = 610	Rate 50/- per annum				

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BHOURA

DEV. BLOCK ... KANGRA, H.P.

[illegible] 32 ([illegible]) ①

Gram Panchayat Bhoura Block Dev office Sullah 2022-23

No	Head	Name Of Work (Vendor Name)	Bill No	Bill Date	Payment Date	Sand (CFT)	Aggrigate(	Boulder	Gatka	Amount
1	Mgnrega	क्रेट वर्क नाले के पास धीमान बती क जमीन वाड 2 (1304015721/FP/8000083400)	37	10/11/2021	17/05/2022			200		6400
2	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क जख बाबा बाबड़ी वार्ड न 5 (1304015721/FP/8000098234)	85	11/3/2022	21/05/2022			1000		32000
3	Mgnrega	नि अपवर्धन कुहल कुलदीप के घर से सतीश पटियाल के घर तक वार्ड न 3 (1304015721/IC/32059701)	39	25/11/2021	17/05/2022	100				3276
4	Mgnrega	निर्माण अपबर्धन कुहल रणबीर कटोच की जमीन से लेकर राम चंद की जमीन तक गंड की ओर 2 (1304015721/IC/8000043738)	79	15/02/2022	17/05/2022	200	200			15600
5	Mgnrega	अपबर्धन कुहल संदीप के घर से लेकर विक्रम की जमीन तक 2 (1304015721/IC/8000043739)	78	15/02/2022	17/05/2022	200	200			15600
6	Mgnrega	अपवर्धन कुहल सोसाइटी भौरा से लेकर गंड की ओर मेन कुहल तक 2 (1304015721/IC/8000043740)	77	15/02/2022	17/05/2022	200	200			15600
7	Mgnrega	निर्माण पंचवटी पार्क वार्ड न 1 पचायत भौरा (1304015721/LD/32093673)	30	10/11/2021	17/05/2022	200	200	200		22000
8	Mgnrega	निर्माण पंचवटी पार्क वार्ड न 1 पंचायत भौरा (1304015721/LD/32093673)	51	22/12/2021	21/05/2022		200			7200
9	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क जगदीश चंद, नरबीर सिंह की जमीन पर 1 (1304015721/LD/8000056099)	242	22/12/2021	21/05/2022				200	6400
10	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क हरनाम धीमान की जमीन पर वार्ड न 2 (1304015721/LD/8000056100)	63	30/12/2021	17/05/2022			100		3200
11	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क हरनाम धीमान की जमीन पर वार्ड न 2 (1304015721/LD/8000056100)	76	15/02/2022	17/05/2022			400		12800
12	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क फुला राम,सुभद्रा देवी ,व रविंदर कुमार की जमीन पर वार्ड न 1 (1304015721	260	11/3/2022	17/05/2022			400		12800
13	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क संसार चंद, कमला देवी , अनुदीप और प्रताप चंद की जमीन पर वार्ड न 1 (1304015721/LD/8000058788)	258	11/3/2022	17/05/2022			600		19200
14	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क बिधा देवी के जमीन के साथ वार्ड (1304015721/LD/8000058789)	259	11/3/2022	17/05/2022			200		6400
15	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क प्रकाश चंद सपुत्र काबुली राम वार्ड 5 (1304015721/LD/8000059826)	91	11/3/2022	21/05/2022			400		12800
16	Mgnrega	लैंड डेवलपमेंट कार्य पंचवटी पार्क सामुदायिक भवन भौरा के पास वार्ड 3 (1304015721/LD/8000061370)	86	11/3/2022	21/05/2022	400	400			31200
17	Mgnrega	निर्माण व् मुरम्मत एम्बुलेंस रोड मेन रोड से बिहारी के घर तक 5 (1304015721/RC/8000137343)	62	30/12/2021	17/05/2022				200	7200
18	Mgnrega	निर्माण व् मुरम्मत एम्बुलेंस रोड मेन रोड से बिहारी के घर तक 5 (1304015721/RC/8000137343)	74	15/02/2022	17/05/2022	200	200			15600
19	Mgnrega	निर्माण एम्बुलेंस रोड स्वरूप के घर से आशा देवी के घर तक वार्ड न 1 (1304015721/RC/8000137344)	243	22/12/2021	21/05/2022			400		12800
20	SDP	cc गदियादा	101	7/12/2021	24/05/2022	250	360		400	37800
21	VKVNY	nimaan puli chouthi band	268	24/05/2022	24/05/2022	200	200			15600
22	SDP	Beautification of park	266	24/05/2022	24/05/2022	200	200			15600
23										327076

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BHOURA
DEV. BLOCK SULAH, KANGRA, H.P.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

17

(2)

Gram Panchayat Bhoura Block Dev office Sullah 2023-24.

o.	Head	Name Of Work	Bill No	Bill Date	Payment Date	Sand	Aggrigate	Boulder	Gatka	Amount
	Mgnrega	अपवर्धन /निर्माण पक्की कुहल मेन कुहल से बिधा देवी के घर के पास से लेकर मेन रास्ते की ओर वार्ड 1	323	1/5/2023	4/8/2023	200	200		200	25000
	Mgnrega	निर्माण तटीकरण अमीर सिंह के घर के पास वार्ड न 2 (1304015721/FP/8000096247)	160	7/8/2023	26/08/2023	300	300			25500
	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क विशन सिंह सपुत्र हरी सिंह की जमीन वार्ड न 1 (1304015721/FP/8000116625)	162	7/8/2023	26/08/2023			500		18000
	Mgnrega	अपवर्धन कुहल ब चोऊ धीमान बस्ती वार्ड न 2 में गंड की ओर (1304015721/IC/8000048504)	163	7/8/2023	26/08/2023	200	200			17000
5	Mgnrega	अपवर्धन कुहल बलवंत सिंह सपुत्र ओम प्रकाश की जमीन पर वार्ड 7 (1304015721/IC/8000048505)	168	7/8/2023	26/08/2023	100	100			8499.92
	Mgnrega	निर्माण क्रेट वर्क cc भवन गदियादा के पास (1304015721/LD/8000083076)	166	7/8/2023	26/08/2023			1200		43199.72
	Mgnrega	अपवर्धन एम्बुलेंस रोड मेन रोड से बचंत सिंह के घर तक वार्ड न 4 (1304015721/RC/8000152383)	161	7/8/2023	26/08/2023	200	200			16999.92
	Mgnrega	अपवर्धन रास्ता रविंदर राणा के घर से सुरिंदर पटियाल के घर तक (1304015721/RC/8000174039)	167	7/8/2023	26/08/2023	200	200			16999.92
	Mgnrega	अपवर्धन रास्ता मेन रास्ते से शांति देवी के घर तक टाइल वर्क वार्ड न 1 (1304015721/RC/8000174040)	171	7/8/2023	26/08/2023	100	100			8500
0	Mgnrega	अपवर्धन जीप रोड एम्बुलेंस रोड मेन रोड आम के पेड़ से सुरजीत के घर तक गंड वार्ड न 7)	169	7/8/2023	26/08/2023	200	200			17000
1	Mgnrega	निर्माण जल संग्रेहन टैंक रणधीर कटोच की जमीन पर वार्ड न 4 (1304015721/WC/8000111956)	164	7/8/2023	26/08/2023	200	200			16999.65
										213699.13

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT BHOURA
DEV. BLOCK SULAH, KANGRA, H.P.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

18

पंचायत चौकीदार को अधिक भत्ते अदायगी

क्र0 संख्या	वाउचर न0	तिथि	राशि	हैड
1	61	19/12/2022	600	सभा फंड
2	62	5/1/2023	300	
3	66	18/02/2023	300	
4	71	13/03/2023	300	
5	1	8/5/2023	300	
6	7	8/5/2023	300	
7	13	19/06/2023	300	
8	19	12/7/2023	300	
9	27	11/8/2023	300	
10	32	8/9/2023	300	
11	34	30/10/2023	300	
12	37	8/11/2023	300	
13	41	7/12/2023	300	
14	45	27/01/2024	300	
15	48	7/3/2024	600	
			5100	

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT BHOURA
DEV. BLOCK SULAH, KANGRA, H.P.